तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.03.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 43 नियम 1 (T) सीपीसी प्रस्तुत हुयी। वकील अप्रार्थी का कथन रहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजवा वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील का है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण का विवरण शीर्षक पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कौन प्रार्थी व अप्रार्थी को तलव किया जावे अथवा किसकी मृत्यु हुई है और मरे हुये के विधिक प्रतिनिधि किस नम्बर पर आयेगें स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजवा बिल्कुल दोष पूर्ण हैं। क्योंकि प्रार्थी की मूल अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज ना होकर दोनों पक्षो की उपस्थिति में समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये खारिज हुयी है। अतः रेस्टोरेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन करना चाहिये था। प्रार्थी के कई प्रार्थना पत्र बार-बार कार्यवाही करने का मौका देने के उपरान्त, कार्यवाही नहीं करने पर खारिज हुये हैं। प्रार्थी जानबूझकर सम्मन तलवाना नहीं देते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर हर्जा खास 50000 रूपये खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। प्रार्थी के पूर्वज अपील में पैरवी करते थे। उनका देहान्त हो गया। जैसे ही प्रार्थी को उक्त अपील की जानकारी हुयी तो उन्होनें उक्त अपील को पुनः रिस्टोर करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अपनी अपील को गुणावगुण पर निस्तारण कराना चाहता है एवं प्रार्थना पत्र में न्यायालय की समस्त कार्यवाही को समय पर कर रहा है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.1989 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 31.03.1993 से स्वीकार हुयी। जिसके विरूद्ध प्रार्थी/रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में दिनांक 07.03.1994 को एक रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दोनों पक्षो की उपस्थिति में दिनांक 04.03.1999 को रैस्पो0 संख्या 05 की तलवी हेतु गत 04 साल से सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने के कारण अदम तकमील में खारिज किया गया। प्रार्थी/रैस्पो0 को न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये, दिनांक 12.04.1999 को एक प्रार्थना पत्र बाजवा प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 19.10.2004 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त बाजवा प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थी रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र बाजवा दिनांक 18.11.2004 को प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 16.05.2007 को अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अप्रार्थी की तलवी हेतु सम्मन तलवाना अन्तिम मौका दिये जाने के उपरान्त प्रस्तुत नहीं करने के कारण अदम तकमील में खारिज हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थी रैस्पो0 ने पुनः एक प्रार्थना पत्र बाजवा नम्बर दिनांक 11.06.2007 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र भी दिनांक 07.12.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिस पर प्रार्थी रैस्पो0 ने उसी रोज पुनः बाजवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो न्यायालय हाजा ने उसी रोज प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण के तथ्यो पर गौर ना करते हुये न्यायहित में स्वीकार कर लिया। उक्त सभी प्रार्थना पत्रो के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी रैस्पो0 ने उक्त प्रार्थना पत्रो में पूर्ण शीर्षक अंकित नहीं किया है। प्रार्थी रैस्पो0 प्रकरण में कुछ अप्रार्थी की मृत्यु	

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

होना कथन करते हैं। ऐसी स्थिति में कौन प्रार्थी व अप्रार्थी को तलब किया जावे अथवा किसकी मृत्यु हुई है और मरे हुये व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि किस नम्बर पर आयेगें स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथम तो प्रार्थी रैस्पो0 अपने प्रकरण के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं एवं उनके प्रार्थना पत्र जैसा कि ऊपर विवेचना में आ चुका है, कई बार खारिज हुये हैं। द्वितीय जब रिव्यु प्रार्थना पत्र का निस्तारण उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 04.03.1999 को अन्तिम हो चुका था, तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर, रिवीजन में जाना चाहिये था। उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र को पुनः बाजवा प्रार्थना पत्र से रिस्टोर कराना विधि संगत नहीं है। उपरोक्त विवचेनानुसार हम प्रार्थी रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र बाजवा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें तथा मूल अपील के संलग्न रहे। आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
अपील संख्या:789/91
223आरटीए

1-खूबी 2-खेमचन्द 3-रामस्वरूप पिसरान रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम एवं कायम मुकामान मृतक रामहेत पुत्र डरोला जाति जाटव साकिन भूतोली तहसील वैर जिला -भरतपुर ----------अपीलान्टस सायलान

बनाम

1- मु. सोनदेई पुत्री जवाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भूतोली तहसील वैर खुद एवं वारिस व कायम मुकाम कैलासिंह प्रतिवादी नम्बर ।
2- रामजीलाल पुत्र सुलतनानसिंह जाति जाटनिवासी ग्राम भूतोली तहसील वैर जिला भरतपुर -------------------रैस्पो. गैर सायलान
3. नत्थी पुत्र मंगल जाति जाटव साकिन भूतोली तह. वैर जिला भरतपुर
मुकन्दी पिसरान पेमा जाति जाटव ग्राम भूतोली तह. वैर जिला भरतपुर —हरजीली-रैस्पो०
अपील खिलाफ आदेश सहायकल कलक्टर, वैर दिनांक 29-3-89 बावत आराजी खसरा नं. 52 रकबा 9-4 विस्वा वाके ग्राम भूतोली तहसील वैर जिला. भरतपुर

मुताबिक आदेश दि. 10.4.94 के अनुसार संशोधन किया गया [illegible] भरतपुर

उपस्थित:- अभिभाषक श्री एस. सी. गुप्ता अपीलान्ट की ओर से

:निर्णय: दिनांक:31-3-93

प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर द्वारा मु. नं. 434/86 में पारित निर्णय दिनांक 29-3-89 से प्रतिवेदित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा अपीलान्ट का वाद अन्तर्गत धारा 88-89 व 183 खारिज किया गया । अपील पेश होने पर रैस्पो. को तलब किया गया जो बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी व बहस अभिभाषक अपीलान्टस सुनी गयी।

प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए अपीलान्ट के विद्वान वकील द्वारा बताया गया कि खसरा नम्बर 52 की 9बीघा 4 विस्वा भूमि सं. 2012से अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पो. की खातेदारी में चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में सं. 2012में वादीगण इस भूमि पर गैर मौरुसी अंकित थे जिसके आधार पर वह आरटीए-1955 लागू होने के दिनांक से खातेदार होगये । इस प्रकार से सं. 2012से ही भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में चली आ रही थी । इस भूमि के सम्बन्ध में 1957 में रैस्पो. की ओर से एक वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसमें भूमि के निस्फ हिस्से की खातेदारी क्लेम की गयी । उक्त वाद में रैस्पोडेन्टस की ओर से एक राजीनामा दिनांक 15-10-57 को अदालत में पेश कर तस्दीक करवा लिया गया जिसके आधार पर आधी जमीन की डिक्री अपने हक में करवाली। यह राजीनामा धोके से करवाया गया और यह कहा गया कि भूमि पर आपका कब्जा चलता रहेगा। अपीलान्टस का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा बदस्तूर चलता रहा परन्तु बाद में 1963 में रैस्पोडेन्टसने भूमि का बेचान रैस्पो. नं 2 रामजीलाल के हक में कर दिया और तब उसके द्वारा जबरदस्ती दखलअन्दाजी करके आधी जमीन का कब्जा छुडवा लिया और आधी जमीन पर अपीलान्टस बदस्तूर काबिज रहे । ऐसी स्थिति में अपीलान्टस द्वारा मालुम करने पर जानकारी हुयी कि रैस्पो. द्वारा आधी भूमि की खातेदारी उक्त डिक्री के आधार पर अपने हक

क्रमश:2पर

में करवाली गयी है जिसे निरस्त करने हेतु अपीलान्टस की ओर से यह दावा घोषणा खातेदारी व बेदखली का विरुद्ध रैस्पोडेन्टस पेश किया गया। जो अधिनस्थ न्यायालय व्दारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत खारिज किया गया। अपी. के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि आरटीए के प्रभाव में आने के बाद अपीलान्टस स्वतःही भूमि के खातेदार हो गये थे और सं. 2020 तक ये खातेदार चलते रहे। एक बार खातेदारी प्राप्त होने के उपरान्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही ~~किसी कि~~ अन्य व्यक्ति को अधिकार ट्रान्सफर हो सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में सन् 1957 के दावे में जो राजीनामा पेश किया गया उसके आधार पर रैस्पो. को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि इस राजीनामा के आधार पर कोई डिक्री पारित नहीं हो सकती। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और उनके खाते की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को मुन्तकिल नही होसकती और नहीं इसके आधार पर कोई डिक्री पारित की जासकती है। अधिनस्थ न्यायालय व्दारा राजीनामा दिनांक 5-10-57के आधार पर जो डिक्री पारित की गयी वह कानूनी प्रावधान के विपरीत,राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के उलंघन में पारित की गयी और इस डिक्री के आधार पर रैस्पो. को कोई अधिकार ट्रान्सफर नहीं होते जैसा कि 1974आरआरडी 194 व 1983आरआरडी 195 में माननीय उच्च न्यायालय व्दारा प्रतिपादित किया गया है। ऐसी डिक्री के आधार पर जो इन्तकाल खोले गये व राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि की गयी वह प्रभाव शून्य हैं। जैसा कि 1983आरआरडी -451 व 1991आरआरडी 218 में निर्धारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकार सहमति से प्राप्त की गयी डिक्री पर रैसजूडीकेटा के सिद्धान्त लागू नहीं होते और अन्य वाद पेश करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैजैसा कि 1978आरआरडी 11 व 1981आरआरडी206 में निर्धारित किया गया है। और यह कि अपी. का वाद हर तरह से मियाद के अन्दर है।

अपीलान्ट के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुतपक्ष पर विचार किया व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं.2010-13 में विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नाम गैरमौरूसी साल-3 अंकित है जिसके आधार पर वह स्वतः आरटीए लागू होने के दिनांक से भूमि के खातेदार हो जाते हैं। रैस्पो. की ओर से दावा 1957 में पेश किया गया जो राजीनामा दिनांक 5-10-57 के आधार पर डिक्री हुयी। रैस्पो. की ओर से यह भूमि 1963 में रैस्पो. नं. 3 रामजीलाल को बेच दी गयी जिसके आधार पर 1963 में उसने जमीन का कब्जा प्राप्त किया जिसके विरुद्ध यह बेदखली का वाद सन् 1968 में पेश किया गया। इस प्रकार यह वाद 12वर्ष के अवधि भीतर है और दावा मियाद बाहर नही कहा जासकता।

उपरोक्तानुसार अपीलान्टस को जो खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो गये उन्हे धारा 42 आरटीए. के प्रावधानों के प्रकाश में सहमति के आधार पर जारी डिक्री से वंचित नहीं किया जासकता। जैसा कि 1991आरआरडी218 में प्रतिपादित किया गया है। इस डिक्री के आधार पर जो इंतकाल भराया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां की गयी वे प्रभाव शून्य है। जहाँ तक रैसजूडीकेटा का प्रश्न है यह सहमति के आधार पर प्राप्त की गयी डिक्री के प्रकरण में लागू नहीं होता है जैसा कि 1989आरआरडी206 में स्पष्ट किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर एक के विवेचन में यह माना हैकि जमाबन्दी 2010-13 के आधार पर इस भूमि के खातेदार वादीगण हीथे और आगे यह उल्लेख किया है कि राजीनामा दिनांक 5-10-57 के आधार पर 1/2 भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण हो गये और राजीनामा के उपरान्त वादीगण को 1/2हिस्से पर

3/पर

अधिकार नहीं रहा । जैसा कि ऊपर स्पष्ट है कि अपीलान्टस अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और उनकी खातेदारी की भूमि पर राजीनामा के आधार पर जारी डिक्री से भी टाईटल ट्रान्सफर नहीं होसकता । अपीलान्टस को प्राप्त खातेदारी अधिकारों को अवैध रुप से रैस्पोडेन्टस के खाते में अंकित किया गया और उसके विरुद्ध जारी 1957 की डिक्री प्रभाव शून्य है। इस प्रकार अपीलान्टस खासरा नम्बार 52 की समस्त भूमि के खातेदारी स्वयं को घोषित कराने के पूरे अधिकारी है और इस भूमि पर रैस्पो. बतौर अतिक्रमी काबिज है जिसका कब्जा अपीलान्टसप्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

अत: अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय व्दारा पारित निर्णय दिनांक 29-3-89 निरस्त किया जाता है व दावा अपीलान्टस के हक में डिक्री किया जाकर उन्हें विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। व आदेश दिया जाता है कि रैस्पोडेन्टस को इस भूमि से बेदखल किया जा कर भूमि का कब्जा अपीलान्टस को दिलाया जावे। डिक्री पर्चा अपीलान्टस के हक में जारी किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31-3-93 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
(के. के. गुप्ता)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भरतपुर।

डिकरी व सीगे अपील

(ओ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'9)

इस अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम [illegible]

व मुकदमा श्री के० के० गुप्ता [illegible]

[illegible] बनाम 1- [illegible]

[illegible] अपील नं० [illegible] सन् 184/91 व नाराजगी डिक्री अदालत [illegible]

2- [illegible] 19 P.T.O.

मुकाम A. C. M. [illegible] मुवर्खा 29-3-89 माह 19

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 11 माह 4 सन् 1984 [illegible]

व हुजूरी श्री एस० सी० गुप्ता [illegible] मिनजानिब अपीलान्ट व Exp.

मुलाहिजा समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर [illegible] पारित निर्णय दिनांक 29-3-89 निरस्त किया जाता है व [illegible] अपीलान्टस [illegible] डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि रेस्पोन्डेन्टस को इस भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा अपीलान्टस को दिलाया जावे।

(खर्चा अपील हाजा का हुक्म बाबत जेर दावादारी मुताबिक X) रुपये X

अदा करें, खर्चा मुकदमा माबहूद का X अदा करें।

हमारे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 31 माह 3 1993 को जारी किया गया।

मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राज.) हस्ताक्षर मोहर

खर्चा अपील

अपीलार्थ	रु.	पै.	रिस्पान्डेन्ट	रु.	पै.
1. स्टाम्प अपील ..	1	00	1. स्टाम्प वकालतनामा ..	1	00
2. स्टाम्प वकालतनामा ..	1	00	..		
3. इश्तहार हुक्मनामा ..			2. इश्तहार हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत ..			4. मेहनताना वकील ..		
मीजान ..	2	00	मीजान ..	1	00

नोट—इन खर्चों के कालम पर मुताबिक का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 38-82-50,000 प्र.

रेस्पोडेंटस

3. नत्थी पुत्र मंगल जाति जाटव नि० अटोली तह. वैर जिला भरतपुर

4. मुकन्दी] पिसरान पेधा
5. फतोली] जाति जाटव निवासी अटोली तह. वैर जिला भरतपुर

— तर. रेस्पो०

मुताबिक आदेश दि. 1.12.94 के अनुसार रेस्पो० के नाम अंकित किये गये।

[signature] 1/12/94

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर